

Govt. of Bihar
Department of Science & Technology

NOTIFICATION

No.Vi Pra (I) Astha 25/2014- _____

Patna, Dated :- _____

In exercise of power conferred by provision in Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend The Science & Technology Department field clerical cadre (Recruitment and service condition) Rules, 2015 :-

- (1) Short title extent and commencement :- These Rules may be called the Science & Technology Department field clerical cadre (Recruitment and service condition) (Amendment) Rules, 2017
 - (2) It shall extend to whole State of Bihar.
 - (3) It shall come in to force with effect from the date 26.05.2015
2. (1) The 'note' of rule 12 of The Science and Technology Department, regional clerical cadre (Recruitment and service condition) is deleted.
- (2) The words and figures "rule 10 to 11" mentioned in rule 13 of The Science & Technology Department field clerical cadre (Recruitment and service condition) rules, 2015 are substituted by the words and figures "rule 11 to 12".

By order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Deputy Secretary)
Deptt. of Sc. & Tech.
Govt. of Bihar, Patna.

Memo No.Vi Pra (I) Astha 25/2014- _____

1141

Patna, Dated :- _____

15-5-2017

Copy to : Accountant General, Bihar, Patna/Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Bihar, Patna-7/Officer in charge, E-Gazette, Finance Department for information and publish in the forthcoming issue of the Gazette/Principal Secretary/Hon'ble Governor, Bihar, Patna/Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Bihar/O.S.D., Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary, General Administration Department/Finance Department/Cabinet Secretary/Secretary, Bihar Publish Service Commission/All Principal, Govt. Engineering Colleges/ All Principal, Govt. Polytechnic Institutions/ All Principal, Govt. Women's Polytechnic Institutions/Secretary, State Board of Technical Education, Patna/All Officer, Science & Technology Department/Principal Private Secretary of Principal Secretary, Science & Technology for information and necessary action.

(Deputy Secretary)
Deptt. of Sc. & Tech.
Govt. of Bihar, Patna.

15/5/17

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

पत्रांक – वि० प्रा० (I) स्था०-25/2014-

पटना, दिनांक –

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015” में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- (1) संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ :- यह नियमावली “विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017” कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह दिनांक-26.05.2015 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. (1) “विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015” का नियम-12 के ‘नोट’ को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
- (2) “विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015” का नियम-13 में उल्लिखित शब्द एवं अंक “नियम-10 से 11” को शब्द एवं अंक “नियम-11 से 12” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) स्था०-25/2014-

1141 पटना, दिनांक – 15-5-017

प्रतिलिपि – महालेखाकार बिहार, पटना अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी ई-गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.05.17

उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।